3 ... प्रार्थी सुरक्षाराम एवं उपस्थित आये।
फर्द अदमान पर हस्ताक्षर किये। वकील प्रार्थी ने पहचान की।
मूलवाद में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत वाजीनामा
पेश किया। वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।
प्रार्थना पत्र का मूलवाद खारिज हो चुका है अतः
प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं
है अतः प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम प. कर्ता
होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)